न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/179
दायरा तिथि : 05.06.2024
आदेश तिथि : 09-07-2025
प्रार्थीगण :–

1. पकाराम पि0 लुम्बाराम
2. भीकाराम पि0 लुम्बाराम
3. धापु पुत्री लुम्बाराम
4. जतना पुत्री लुम्बाराम
5. हीरकी पुत्री लुम्बाराम जातिगण मेगवंशी निवासी सादडा तहसील बाली

ब नाम

अप्रार्थी :–
भंवरसिंह गोदपुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी सादडा तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 09-07-2025

अप्रार्थी भंवरसिंह द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2014/02103 अनवान पकाराम वगैरा बनाम भंवरसिंह अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील की गई। अपील में दिनांक 20.10.2023 को पारित आदेश अनुसार प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2014/02103 अनवान पकाराम वगैरा बनाम भंवरसिंह अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अप्रार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिये गये। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्देशों की पालना में प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी पकाराम की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी भवरसिंह को जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी भवरसिंह को रजिस्टर्ड डाक से जारी नोटिस की तामीलशुदा एडी रसीद प्राप्त हुई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्राथी की एकपक्षीय बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सादडा पटवार हल्का लाटाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 821 व 823 रकबा 1.59 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या जीसीएमएस नंबर 2014/02103 अनवान पकाराम वगैरा बनाम भंवरसिंह अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 को यथावत रखा जाकर मौजा सादडा के ख.न. 821 व 822 की भूमि मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 822 रकबा 1.54 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे से 94X6= 564 वर्गमीटर नया मार्ग संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर 16100/– रूपये प्रति बीघा को आधार मानते हुये निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/179

अनवान पकाराम बनाम भंवरसिंह

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख.नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.)	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 16100/– प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	प्रभावित खातेदार का नाम
822	1.54	94 X 6 = 564 वर्गमीटर	10.06	11347	भंवरसिंह गोद पुत्र हरीसिंह राजपूत नि. सादडा

आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 14/07/25

क्रमांक/कोर्ट/2025/902-906

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, लाटाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक पकाराम पि0 लुम्बाराम जाति मेगवंशी निवासी सादडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

नजरी नक्शा

ग्राम - सादड़ी
जिला - पाली
सें.मी. = ४० मीटर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

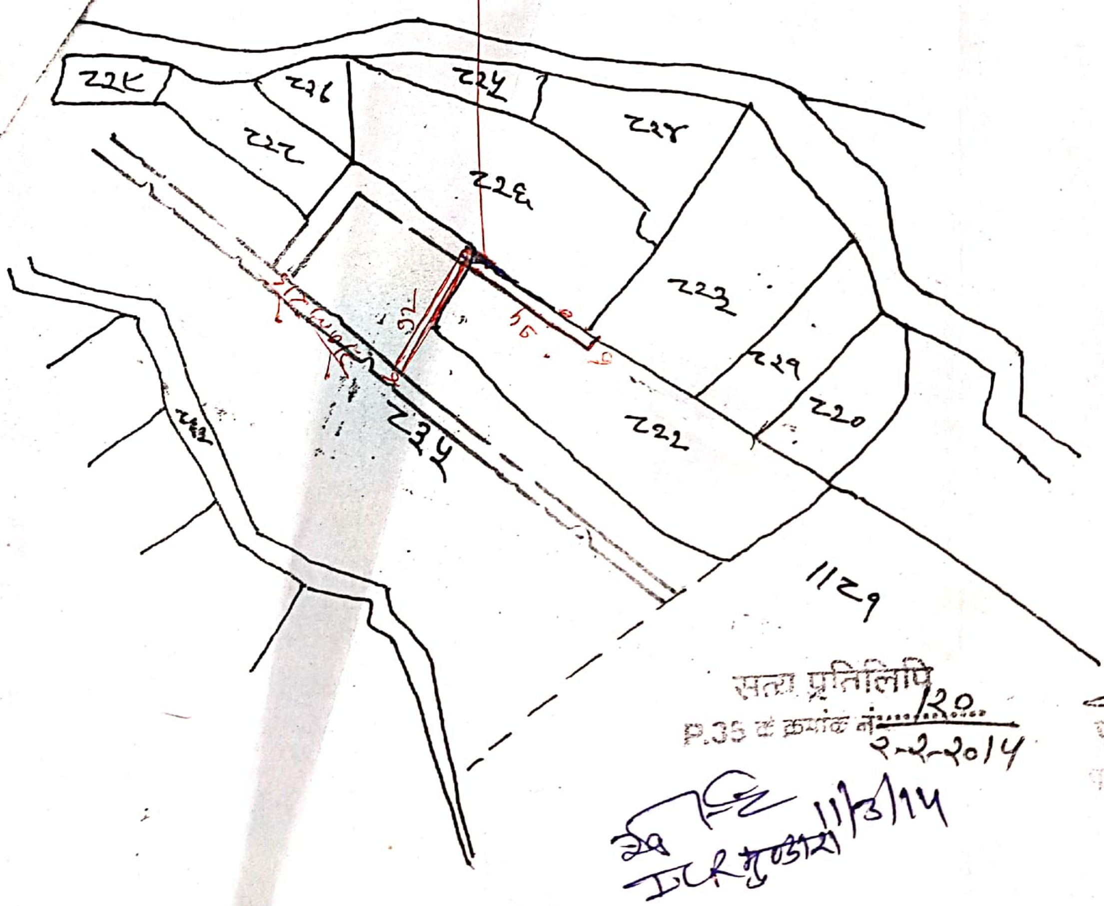

सत्य प्रतिलिपि
P.35 के क्रमांक नं. 120
2-2-2014

पटवारी

11/3/14
ILR मुण्डारा